

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 744 / 12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक, 21-08-2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा में ROW Permishion for laying optical fiber cable from panduwakhal to pan village (totat langth-15.00 km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित वन भूमि 0.450 है० का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या 34122/2018)।

संदर्भ:- आपकी ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 07.08.2019।

महोदय,

विषयगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु प्रेषित ऑनलाईन प्रस्ताव को आपके द्वारा निम्न आपत्ति के साथ ऑनलाईन के माध्यम से इस कार्यालय को लौटाया गया था :-

CF may clarify, whatever this RoW right of way has approved under FC clearance at the time of construction.

इसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा से आख्या प्राप्त की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 754/12-1(2) दिनांक 20.08.2019 से प्रेषित आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भेद्यदीय,

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

—दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)

पत्रांक 754 /12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 20-8-2019

सेवा में

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा में ROW Permishion for laying optical fiber cable from gagas to kaniya (total length-15.00km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित वन भूमि 0.450 है० का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव 34122/2018)

संदर्भ — ऑनलाइन प्राप्त प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित एवं विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रति उत्तर नियमानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	D.F.O. May clarify whatever this Row-Right of way-has approved under FC clearance at the time of construction.	प्रश्नगत परियोजना का निर्माण परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत प्राप्त चौड़ीई के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे-किनारे किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण गगास से खनिया पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किनारे प्रस्तावित है। गगास से खनिया मोटर मार्ग लगभग 7 मी० चौड़ाई में निर्मित है। उक्त मोटर मार्ग 1980 से पूर्व के स्वीकृत हैं। प्रस्तावक विभाग ने सम्बन्धित P.W.D व N.H के कार्यालयों से सम्पर्क किया गया जहां पर अभिलेख/सूचना उपलब्ध नहीं है। तथा उक्त मोटर मार्ग 1980 से पूर्व की स्वीकृत है के अभिलेख इस कार्यालय में भी उपलब्ध नहीं हैं।

अतः सूचनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।